पाठ्यक्रम ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	परीक्षा विषय एवं पाठ्यक्रम
T (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)	1.टेक्सटाईल डिजाइन 2.गारमेन्ट टेक्नोलाजी 3.फैशन डिजाइन	तीन वर्षीय	हाईस्कूल उत्तीर्ण (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)	प्रवेश प्रक्रिया हाईस्कूल की मेरिट के आधार पर होगी। जिसके लिये काउंसिलिंग के समय नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा।

नोट :–

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम विशेष के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अन्तर्गत होगी।
2. महिला पॉलीटेकनिक संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रम केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, परन्तु अन्य पॉलीटेकनिक/संस्थानों में महिला/पुरुष अभ्यर्थियों से सीटें भरी जायेंगी।
3. प्रत्येक ग्रुप में आवेदन हेतु अभ्यर्थी को अलग–अलग आवेदन करना होगा।

➤**विकलांग एवं अक्षम अभ्यर्थी:–** विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड की निम्नलिखित संस्था में चल रहे निम्न पाठ्यक्रमों में विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। जिसमें भी उपरोक्तानुसार प्रवेश सुविधायें उपलब्ध हैं।

संस्था का नाम	इलेक्ट्रा० इंजी०	इलेक्ट्री० इंजी०	मैके० इंजी.(प्रो०)	पी०जी०डी०सी०ए०
के० एल० पाली० रूड़की	**06 सीटें**	**06 सीटें**	**06 सीटें**	**07 सीटें**

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों में विकलांग अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश क्षमता का 4 प्रतिशत क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण उपलब्ध है। इन संस्थाओं में विकलांग अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप ही सुविधायें उपलब्ध हैं। उपरोक्त श्रेणी में केवल ऐसे विकलांग अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी अक्षमता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।

➤ **प्रवेश हेतु अनिवार्यता:–**

1. जिन्होंने निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो

अथवा

2. जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो किन्तु उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों।

यदि कोई विदेशी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित/संस्तुत होने अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नामित/संस्तुत/सहमति आवश्यक होगी। कश्मीर से विस्थापित अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार सीटें आरक्षित की गई हैं, तदानुसार प्रवेश अनुमन्य होगा।

Scanned with CamScanner

विशेष ध्यानाकर्षण :

अ. आरक्षण वर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी यह भली–भाँति नोट कर लें, कि चयनित होने के बाद भी उन्हें प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वे आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न कर पाने की दशा में उनका चयन निरस्त माना जायेगा और वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, तथा इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

ब. प्रवेश के पश्चात संस्था/पाठ्यक्रम स्थानान्तरण किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।

सीटों का आरक्षण:

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार के सुसंगत शासनादेशों के अधीन निम्नवत् है :–

क्र०सं०	जिनके लिये आरक्षित है	आरक्षित स्थान	कोड
ऊर्ध्वाधर आरक्षण			
1.	अनुसूचित जाति (S.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	19 %	**SC**
2.	अनुसूचित जनजाति (S.T.) अभ्यर्थियों के लिये।	04 %	**ST**
3.	अन्य पिछड़े वर्ग (O.B.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	14 %	**OBC**
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) अभ्यर्थियों के लिये।	10 %	**EWS**
5.	N.C.C. प्रमाण पत्र धारकों के लिए (उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार)	प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में A B तथा C हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1, 2, तथा 3% जोड़ा जायेगा	**NCC**
क्षैतिज आरक्षण			
6.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (D.F.F.) के आश्रितों के लिये।	02 % संस्थागत, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	**DFF**
7.	भूतपूर्व सैनिकों/अपंग/मृत सैनिकों के आश्रित (MP)	05 % संस्थागत, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	**MP**
8.	विकलांग अभ्यर्थियों (PH) के लिये।	04 %	**PH**
9.	महिलाओं (Women) के लिये।	30 %	**WO**

नोट : 1. जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगा/होगी उसे उसी वर्ग में हारिजैन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।

2. उपरोक्त आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिवर्तनीय है।

Scanned with CamScanner

संस्था में छात्र की उपस्थिति की अनिवार्यता सम्बन्धी विवरण : प्रवेश के उपरान्त छात्र को वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये 80 प्रतिशत उपस्थिति होनी अनिवार्य है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का विवरण : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में परिषद् में प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है।

संस्थाओं में रैगिंग से सम्बन्धित नियम : माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पालीटेकनिक संस्थाओं में रैगिंग किया जाना पूर्णत प्रतिबन्धित है। जिसके लिये प्रत्येक वर्ष समस्त पालीटेकनिकों में प्रधानाचार्यों द्वारा एन्टी रैगिंग स्क्वायड की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है।

राजकीय/महिला/ग्रामीण/सहायता प्राप्त पालीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 245/XLI-1/2016-61/09 देहरादून दिनांक 15 फरवरी 2016 एवं शासनादेश सं0 744/ XLI-1/2016-61/09 दिनांक 14 जून 2017 के द्वारा निर्धारित शुल्क ढाँचाः–

क्रं0 सं0		शुल्क की मदें	शुल्क दरें ₹ में
1		**शिक्षण शुल्क**	**8000.00**
2		**छात्र निधि शुल्क**	**5000.00**
	1	प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन	50.00
	2	परिचय पत्र शुल्क	50.00
	3	क्रीड़ा शुल्क	250.00
	4	वार्षिकोत्सव शुल्क	100.00
	5	शैक्षिक परीक्षा शुल्क	100.00
	6	मैग्जीन शुल्क	100.00
	7	हॉबी सेन्टर शुल्क	50.00
	8	विद्युत शुल्क	1000.00
	9	कॉसन मनी संस्थागत् (refundable)	100.00
	10	शैक्षिक/औद्योगिक भ्रमण	300.00
	11	अनुरक्षण शुल्क	1500.00
	12	कम्प्यूटर/इन्टरनेट शुल्क	500.00
	13	विकास/भवन विकास शुल्क	500.00
	14	पुस्तकालय शुल्क	100.00

क्रं0 सं0	शुल्क की मदें	शुल्क दरें ₹ में
	15 छात्र वेलफेयर शुल्क	100.00
	16 एन0सी0सी0 शुल्क	100.00
	17 पुस्तकालय काशन मनी	100.00
	छात्रावास शुल्क	**4000.00**
	18 छात्रावास शुल्क	600.00
	19 छात्रावास काशन मनी	200.00
	20 छात्रावास अनुरक्षण शुल्क	2000.00
	21 छात्रावास विद्युत शुल्क	1100.00
	22 बर्तन चन्दा	100.00
3	**बोर्ड परीक्षा शुल्क** **मुख्य परीक्षा शुल्क** (सभी छात्रों हेतु एक समान)	राजकीय–500.0 निजी क्षेत्र–1000.0
	परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	200/-
	बैक पेपर परीक्षा शुल्क (सभी छात्रों हेतु एक समान)	200/- प्रति विषय
	स्क्रूटनी शुल्क	250/- प्रति विषय
	अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर) (परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)	 20.00 30.00
	पुर्नमूल्यांकन	2000/- प्रति विषय

नोटः प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा मात्र एक ही संस्थान में शुल्क जमा किया जायेगा। छात्र–छात्रा का जीप–द्वितीय/तृतीय काउंसिलिंग के माध्यम से पालीटेकनिक एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन होने की दशा में नयी संस्था में प्रवेश पुरानी संस्था द्वारा प्रदत्त रिलीविंग सर्टिफिकेट (जिसमें छात्र द्वारा जमा किये गये समस्त शुल्क का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा) प्रस्तुत करने पर होगा एवं छात्र से नयी स्थानान्तरित संस्था में कोई शुल्क (शिक्षण/छात्रनिधि) नहीं लिया जायेगा।

Scanned with CamScanner